HAPUR POLICE

प्रेस नोट

थाना - हापुड नगर **दिनांक 18.04.2025**

"थाना हापुड नगर पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर का किया खुलासा"

- **थाना हापुड नगर पुलिस ने दो दिन पूर्व थाना क्षेत्रान्तर्गत शिवगढी शमशान घाट के पास मिले अज्ञात महिला के शव की घटना का सफल अनावरण करते हुए एक हत्यारोपी को किया गिरफ्तार।**
- **जिसके कब्जे/ निशादेही से आलाकत्ल दरांती व मृतका का मोबाइल फोन बरामद।**
- **गिरफ्तार अभियुक्त व मृतका के मध्य अवैध संबंध थे जिस कारण मृतका, अभियुक्त से खर्चे के लिए रुपयों की मांगा करती थी व रुपये न देने पर बदतमीजी करती थी एवं जेल भिजवाने की धमकी देती थी जिसके चलते महिला से छुटकारा पाने के लिए अभियुक्त द्वारा धारदार हथियार(दरांती) से उसकी हत्या करने की घटना कारित की गई थी।**

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 15.04.2025 को थाना हापुड नगर क्षेत्रांतंगत स्थित शिवगढी शमशान घाट के पास खाली पडी जगह मे एक अज्ञात महिला का शव मिला था, उक्त सूचना पर तत्काल उच्चाधिकारीगण, फॉरेंसिक टीम व स्थानीय पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया था तथा शव की शिनाख्त कर घटना में संलिप्त अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी/अनावरण करने हेतु श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा टीमें गठित कर आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये थे तथा मृतका की शिनाख्त अंजू पत्नी स्व0बंटी निवासी मौ0 कन्हैयापुरा थाना हापुड़ नगर जनपद हापुड़ के रूप में हुई।

कार्यवाहीः-

हापुड़ पुलिस द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना हापुड नगर पुलिस द्वारा थाने मु0अ0सं0 217/2025 धारा 103(1), 238 बीएनएस का सफल अनावरण करते हुए एक हत्यारोपी को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे/ निशादेही से आलाकत्ल दरांती व मृतका का मोबाइल फोन बरामद हुआ है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः

गिरफ्तार अभियुक्त इरशाद द्वारा बताया कि मै पेशे से टाईल पत्थर लगाने का मिस्त्री हूँ। मेरी करीब डेढ साल पहले अंजू से दोस्ती हुई थी। उसके पति की करीब 4 साल पहले मृत्यु हो चुकी है, वह आस पास के घरो में साफ सफाई व बर्तन का काम करती थी। मेरी अंजू से अक्सर फोन पर बाते होती रहती थी तथा हम दोनो एक दूसरे से मिलते भी रहते थे, हम दोनो के कई बार आपसी सहमति से सम्बन्ध भी बने थे। मै अंजू को खर्चे के लिए काफी रूपये पैसे देता था जिससे वह अपना खर्चा चलाती थी। मै अपनी कमाई का अधिकतर पैसा अंजू के ऊपर खर्च करता था। पिछले लगभग सात आठ माह से अंजू का व्यवहार काफी बदल गया था। वह हर समय मुझसे पैसो की मांग करती थी तथा मुझे भला बुरा कहने लगी थी। मै अपने कमाये हुए रूपयो में से अपने घर पर भी रूपये नही दे पा रहा था, लेकिन अंजू की मांग पर उसे देता था, उसके बावजूद भी वह मेरे साथ ठीक व्यवहार नही करती थी, उसने कई बार मेरे साथ हाथापाई की लेकिन मै फिर भी सब कुछ सहता रहा। वह हर समय मुझे फोन करके रूपये मांगती थी तथा धमकाती थी कि या तो पैसे दे नही तो फिर तमाशा बनाकर तुझे जेल भिजवा दूंगी। मै मानसिक रूप से भी काफी परेशान हो चुका था इसलिए दिनांक 14.04.2025 को दोपहर मै अपने घर से एक गन्ना छीलने की दराती व एक रसोई का चाकू अपनी मोटरसाईकिल मे रखकर रामपुर रोड की तरफ रैबन फैक्ट्री से सामने पडे कूडे के मैदान के पास शिवगढी के शमशान घाट के पास ले गया, जहाँ पर हम दोनो पहले भी एक दो बार जाकर मिलते जुलते थे तथा बातचीत करते थे। वहां पर मैने पहले चाकू से फिर गन्ना छीलने वाली दरांती से हमला कर अन्जू को मार दिया तथा खींचकर कूडे के ढेर के पास डाल दिया। मैने दरांती व अन्जू का मोबाइल नाले में फेक दिये थे।

गिरफ्तारी का स्थानः- मस्कन से *दिनांक-* 17.04.2025

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

इरशाद पुत्र आस मौहम्मद निवासी गली नं0 8 मौहल्ला मजीदपुरा रफीकनगर थाना हापुड नगर जनपद हापुड।

बरामदगी का विवरणः-

1. एक आलाकत्ल दरांती।
2. मृतका का मोबाइल फोन।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री मुनीष प्रताप सिंह थाना हापुड नगर जनपद हापुड।
2. उ0नि0 श्री प्रवीण कुमार थाना हापुड नगर जनपद हापुड।
3. उ0नि0 नसीम अहमद थाना हापुड नगर जनपद हापुड।
4. है0का0 682 जगवीर सिंह थाना हापुड नगर जनपद हापुड।
5. कां0 1032 लाखन सिंह थाना हापुड नगर जनपद हापुड।
6. कां0 39 विपुल खोखर थाना हापुड नगर जनपद हापुड।